"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 472] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2013—— अश्विन 26, शक 1935

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (चिकित्सा शिक्षा) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-29/ 2012/नौ/55 . — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं औषधि प्रशासन सेवाओं में चतुर्थ श्रेणी सेवा की भर्ती की पद्धति तथा क्षेत्र को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ . —**
   (1) ये नियम "छत्तीसगढ़ खाद्य एवं औषधि प्रशासन (चतुर्थ श्रेणी) सेवा भर्ती नियम, 2013" कहलाएंगे.
   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **लागू होना . —** ये नियम अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे .

3. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि . —** सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, उससे संलग्न वेतनमान, पदों के लिए भर्ती का तरीका, आयु सीमा और भर्ती, परिवीक्षा, पदोन्नति इत्यादि के संबंध में अन्य विषय (शर्तें), अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे :

   परंतु शासन समय-समय पर, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा.

4. **अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं के लिए आरक्षण . —**
   (1) सीधी भर्ती के पदों के लिए आरक्षण, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबन्धों के अनुसार होगा.

(2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये, पदोन्नति में आरक्षण, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबन्धों के अनुसार होगा.

(3) महिलाओं के लिए आरक्षण,- महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (लोक सेवा में महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबन्धों के अनुसार होगी.

5. **शिथिलीकरण** . — इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है :

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो.

6. **व्यावृत्ति**. — इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, ऐसे शासकीय कर्मचारी जिसकी मृत्यु सेवावधि के दौरान हुई हो, के परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति, विकलांग व्यक्तियों तथा अन्य व्यक्तियों जो अन्य श्रेणियों से संबंधित हो, के लिए उपबंधित आरक्षण तथा शिथिलीकरण को प्रभावित नहीं करेगी तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर बनाये गये नियमों या जारी किये गए आदेशों के अनुसार विनियमित होगी.

7. **निरसन और व्यावृत्ति**. — इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश की गई कार्रवाई समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

अनुसूची

स. क्र.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	ग्रेड वेतन	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	न्यूनतम/ अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के लिए चयन समिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	भृत्य	28	चतुर्थ श्रेणी	4750-7440	1300	100%	18-30	8वीं उत्तीर्ण	चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के सभी पदों के लिए. 1.नियंत्रक (छत्तीसगढ़ खाद्य एवं औषधि प्रशासन) 2. उप नियंत्रक (छत्तीसगढ़ खाद्य एवं औषधि प्रशासन)
2.	चौकीदार	02	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	
3.	स्वीपर	02	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	
4.	प्रयोगशाला परिचारक	06	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	
5.	कार्यालय सहायक	04	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	

टीप :—छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा, छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी.

नया रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2013

क्रमांक एफ 3-29/ 2012/नौ/55. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11-10-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 11th October 2013

NOTIFICATION

No. F 3-29/2012/IX/55.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following rules for regulating the method and field of recruitment of Class-IV service in Chhattisgarh, Food & Drugs Administration Services, namely :-

RULES

1. **Short title and commencement.—**
   (1) These rules may be called The "Chhattisgarh, Food & Drugs Administration (Class-IV) Service Recruitment Rules, 2013.
   (2) These rules shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Application .—** These rules shall apply to the posts specified in column (2) of the Schedule.

3. **Classification, scale of pay, etc.—** The classification of the service, the number of post included in the service, the scale of pay attached thereto, method of recruitment to the Posts, age limit. educational qualifications and other matters related to recruitment, probation, promotion etc. shall be as specified in the Schedule:

   Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and Pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

4. **Reservation for Schedule Castes, Schedule Tribes and Other Backward Classes.—**
   Reservation for the posts of direct recruitment shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Lok Sewa (Anusuchit Jation, Anusuchit Janjation Aur Anya Pichhde Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994.

   (2) Reservation in promotion shall be made for the candidates of Scheduled castes and Scheduled tribes in accordance with the provisions of Chhattisgarh Civil Service (Promotion) Rules, 2003.
   (3) Reservation for women.- Reservation for women candidates shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Service (Special Provision for Appointment of Women in Public Service) Rules, 1997.

5. **Relaxation.—** Nothing contained in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply, in such manner as may appear the governor to be just and proper :

   provided that, the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservations and relaxations provided for the Scheduled Castes Scheduled Tribes and Other Backward Classes, for Ex-servicemen, compassionatory appointment to one member of the family of the Government employees who dies during service period, handicapped persons and other persons belonging to other categories and shall be regulated in accordance with the rules made or orders issued by the State Government from time to time in this regard.

7. **Repeal and saving**.— All rules corresponding to these rules and in force immedately before the commencement of these rule, are, hereby, repealed in respect of matters covered by these rules :

provided that, any order made or any action taken under the rules so repealed shall be a deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. M. MINJ, Deputy Secretary.

SCHEDULE I

S. No.	Name of Posts	Number of Post	Classification	Scale of Pay	Grade Pay	Percent age of posts to be filled in by direct recruitment	Age limit-Minimum/ Maximum	Prescribed Educational Qualification	Selection Committee for direct recruitment and promotion
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Peon	28	Class-IV	4750-7440	1300	100%	18-30	8th Pass	For all the Posts of class -IV Category.
2.	Chowkidar	02	---do---	---do---	---do---	---do---	---do---	---do---	1. Controller (Chhattisgarh Food & Drugs)
3.	Sweeper	02	---do---	---do---	---do---	---do---	---do---	---do---	
4.	Laboratory Attendant	06	---do---	---do---	---do---	---do---	---do---	---do---	2. Deputy Controller (Chhattisgarh food & Drugs)
5.	Office Attendant	04	---do---	---do---	---do---	---do---	---do---	---do---	

Note :- For Canditates a having domicile of Chhattisgarh the upper age limit shall be relaxable as per the instructions issued by General Administration Department of the Government of Chhattisgarh, from time to time.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.